The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-3, October-2023
www.theresearchdialogue.com

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता : एक राजनीतिक विश्लेषण

सुम्बुल
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद मंगल पाण्डे राजकीय,महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, माधवपुरम, मेरठ।
ई–मेल– sumbulshammi@gmail.com

डॉ0 अनुजा रानी गर्ग
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद मंगल पाण्डे राजकीय,महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, माधवपुरम, मेरठ।
ई–मेल– sumbulshammi@gmail.com

सारांश–

भारत संवैधानिक रूप से एक पथनिरपेक्ष देश है, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि भारत के कुछ कानून आज भी समुदाय एवं धर्म के नाम पर बटे हुए है बटे हुए कानून का मुख्य उदाहरण हिन्दू कोड़ बिल एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ है यह कानूनी विभाजन समाप्त कर समान नागरिक संहिता लागू करना समय एवं नागरिकों दोनों की आवश्यकता है क्योंकि किसी भी देश एवं समाज को सर्वसम्पन्न होने के लिए समानता एक अनिवार्य शर्त है। समानता के प्रकार समय एवं स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकते है। वर्तमान समय के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, लैंगिक अन्य समानता एक मूल आवश्यकता है। इन सभी समानताओं को केवल एक उपाय समान नागरिक संहिता के द्वारा लागू किया जा सकता है। (यूसीसी) का मुख्य उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बांटे हुए कानून को समाप्त कर एक देश एक कानून की अवधारणा को स्थापित करना है। वास्तविक रूप से भारत को पथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर बनाने की दिशा में समान नागरिक संहिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत शोध पत्र में सजग सरकार द्वारा बनाये गये समान नागरिक संहिता विधेयक की आवश्यकता का राजनीतिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिन्दु– *समान नागरिक संहिता, यूसीसी, भारतीय कानून हिन्दू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, नागरिक समानता आदि।*

भारत में समान नागरिक संहिता की शुरूआत 1751–1858 के मध्य धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों के सुधार से होती है, भारतीय गर्वनर जनरल लार्ड विलियम बैन्टिक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया तथा 1829 में बंगाल सती अधिनियम पारित किया गया,[1] परन्तु ब्रिटिश काल के दौरान भारत में धार्मिक भिन्नता को देखते हुए अंग्रेजों के द्वारा हिन्दू, मुसलमानों, ईसाई धर्म के लिए अलग–अलग कानूनों की व्यवस्था की गई कुछ समय बाद पारसी के लिए भी अलग कानून की व्यवस्था की गई। सभी धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर कानून बनाकर स्थानीय पंचायतों एवं अदालतों को आदेश जारी किया गया कि नागरिकों के विवादों का निपटारा इन्हीं कानूनों के अन्तर्गत किया जायेगा।[2] इन धार्मिक कानूनों में मुख्य रूप से उत्तराधिकारी, विवाह, तलाक, भूमि सम्बन्धित आदि विषयों पर धार्मिक पक्ष रखकर कानून बनाये गये। 19वीं शताब्दी का अन्त होते हुए धार्मिक रीति–रिवाजों परम्पराओं तथा स्थानीय राय में कट्टरवाद झलकने लगा।[3] 1835 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराध और अपराध से सम्बन्धित भारतीय कानून का संग्रह कर एकीकरण के पक्ष में जोर दिया गया हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाने की सिफारिश की गई।[4] ब्रिटिश शासन के अन्त में व्यक्तिगत मुद्दों के निवारण वाले कानून ने सरकार को 1941 में हिन्दू कानून का गठन करने हेतु बीएन राव समिति बनाने के लिए विवश किया गया बीएन राव समिति का मुख्य कार्य हिन्दू कानून की आवश्यकता के पक्ष में किये गये प्रश्नों की जाँच करना था समिति द्वारा शास्त्रों के अनुसार हिन्दू कानून बनाने की सिफारिश की गई जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू महिलाओं को समान अधिकार देना था। 1937 के अधिनियम की समीक्षा के दौरान बीएन राव समिति ने हिन्दुओं के लिए विवाह एवं उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की गई।[5] स्वतन्त्र भारत में अगस्त 1947 में कुछ कानून पारित किये गये विशेषकर जो हिन्दू विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाये गये। डॉ0 अम्बेडकर के द्वारा हिन्दू कोड बिल का संचालन किया गया जिसके अन्तर्गत बेटियों को पिता की विरासत में अधिकार दिया गया। हिन्दू कोड बिल का हिन्दू समुदाय द्वारा तीव्र विरोध किया गया तीव्र विरोध के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 नेहरू द्वारा हिन्दू कोड बिल को चार अलग–अलग विधानों में कुछ सरल करके पारित किया गया ये प्रावधान कुछ इस प्रकार है–

- हिन्दू विवाह अधिनियम
- उत्तराधिकार अधिनियम
- अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम
- दत्तक ग्रहण और रख–रखाव अधिनियम[6]

1857 में मुग़ल शासन की समाप्ति के बाद शरीयत आधारित मुग़ल कानूनों को समाप्त कर दिया गया।[7] परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1937 में शरीयत अधिनियम लागू किया गया। जिसमें शरीयत के अनुसार मुसलमानों के लिए कुछ विशेष कानून बनाये गये इन कानूनों को मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम दिया गया। इस कानून की विशेषता थी कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों पर थोपे नहीं गये कानून के सेक्शन तीन

के अनुसार यह कानून केवल उन्हीं मुसलमानों पर लागू होंगे जिन्होंने लिखित में इस कानून के दायरे में आने की बात कहीं है।[8]

मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा हिन्दू कोड बिल के कई प्रावधान भिन्न है, जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति की विरासत का अधिकार, विवाह, तलाक, खुला, इद्दत, मेहर, संरक्षता, उपहार, ट्रस्ट और वक्फ़ आदि मामले प्रमुख है। इन सभी मामलों के सम्बन्ध में मुसलमानों के पक्ष में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। यही शरीयत अधिनियम वर्तमान भारत में भी लागू है, परन्तु समय–समय पर इसमें परिवर्तन किये गये जिसमें वक्फ़ अधिनियम 1995 अधिनियमित किया गया तथा 2013 में पुनः अधिनियमित किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1972 में एक निजी ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत मामलों को सुलझाना है। एक पारसी दिनशाह फरदुनजी मुल्ला द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में ब्रिटिश अदालतों के मुस्लिम शरीयत से सम्बन्धित मामलों को संकलित किया गया जो आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ से सम्बन्धित सभी मामलों में भारतीय अदालतों के मार्ग दर्शन का मुख्य स्त्रोत बनी हुई है।[9]

समान नागरिक संहिता क्या है–

यह तीन शब्दों को मिलाकर बना है यूनिफॉर्म + सिविल + कोड जिसमें यूनिफॉर्म का अर्थ सभी लोग सभी परिस्थितियों में समान है तथा सिविल लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ सिटीजन (नागरिक) होता है। वही लैटिन शब्द Coder यानी कोड का मतलब किताब से है जिसका अर्थ है। सम्पूर्ण देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून से है जो कि एक ही पुस्तक में साहिताबहद हो तथा इस कानूनी पुस्तक में किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान वर्गविशेष आदि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया गया हो।[10] समान नागरिक संहिता द्वारा विवाह, तलाक गोद लेना, विरासत, उत्तराधिकार आदि सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होगी सभी धर्मों के लिए बनने अलग–अलग कानून जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम भारतीय ईसाई विवाह, अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम पारसी विवाह और तलाक अधिनियम आदि सभी कानून समान नागरिक संहिता लागू होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।[11]

समान नागरिक संहिता का संवैधानिक पक्ष–

स्वतन्त्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम कानून मंत्री डॉ0 अम्बेडकर द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया गया परन्तु संविधान सभा द्वारा समान नागरिक संहिता का भारी विरोध किया गया। नसीरूद्दीन अहमद ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए संविधान सभा से कहा, ''जिसे ब्रिटिश सरकार 175 साल तक लागू करने में विफल रही या लागू करने से डरती रही और जिसे मुसलमान पिछले 500 वर्षों में लागू करने में कतराते रहे, उसे अचानक लागू करने की शक्ति हमें राज्यों को नहीं देनी चाहिए।[12] संविधान की प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में समान नागरिक संहिता का प्रारूप प्रस्तुत किया गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ0 अम्बेडकर द्वारा यह प्रावधान प्रस्तुत किया गया। ''राज्य भारत के साध्यंत राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक विध व्यवहार संहिता के निर्माण का प्रयत्न

करेंगे।'' कुछ समय पश्चात् यह प्रस्ताव भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों के समूह में संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के रूप में स्थापित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की[13] प्रस्तावना में एक नया शब्द धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता शब्द स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों में एक समस्त नागरिकों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर समानता लागू करना है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किये गये मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान है, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि की व्यवस्था करता है, परन्तु आज भी स्वतन्त्रता के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए विवश है, जिसके मुख्य कारणों में से एक समान नागरिक संहिता का लागू ना हो पाना है जो कि संविधान की प्रस्तावना व विधि के शासन का उल्लंघन है।[14]

भारत का एक मात्र राज्य गोवा है। जहाँ एक समान नागरिक संहिता 1962 से लागू है। गोवा में लागू वर्तमान समान नागरिक संहिता पुर्तगाली समान नागरिक संहिता 1867 के तहत लागू की गयी इसके अन्तर्गत उत्तराधिकार एवं विरासत से सम्बन्धित मामलों का भी संचालन किया जाता है तथा बहुविवाह को भी प्रतिबंधित किया गया है।[15]

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता–

कानून के समक्ष सभी समान है सभी के लिए समान कानून होना ही लोकतन्त्र की आधारशिला है। समान कानून ना होने के कारण कई बार लोग अनुचित लाभ लेना चाहते है। ऐसी ही एक घटना हाल ही में दिल्ली हाई–कोर्ट के समक्ष आयी एक जोड़े ने हिन्दू रीति–रिवाज से शादी करने के बावजूद तलाक के लिए कोर्ट आये तो महिला ने दलील दी कि राजस्थान के जन–जातीय मीणा समुदाय से होने कारण उस महिला पर हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते कोर्ट ने महिला की दलील को खारिज करते हुए देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को रेखांकित किया।[16]

सभी धर्मों के लिए अलग–अलग कानून के कारण न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से अनावश्यक बोझ को समाप्त किया जा सकता है तथा वर्षों से अटके पड़े मामलों में फैसले जल्द से जल्द सुनाएँ जा सकते हैं।

देश में समान नागरिक संहिता लागू होने पर महिलाओं की स्थिति में सुधार आयेगा क्योंकि प्रत्येक पर्सनल लॉ के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया गया है। जैसे बेटी का पिता की सम्पत्ति पर अधिकार ना होना तथा अकेली महिला का बच्चा गोद ना ले पाना आदि प्रमुख असमानताएँ है।

समान नागरिक संहिता लागू होने से देश की राजनीति को बड़ा फायदा होगा क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकेगा जैसे ही धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति समाप्त होगी वैसे ही समाज एवं देश की कुरीतियाँ दूर होगी और राजनीतिक दल सत्ता में आने पर धर्म की राजनीति की जगह विकास के कार्य पर ध्यान देंगे जिसे विकास की राह सरल एवं सीधी हो जायेगा उस समय भारत सही मायने में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा।[17]

समान नागरिक संहिता के फायदे–

समान नागरिक संहिता मूलतः धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बने अलग–अलग कानून को समाप्त कर एक देश एक कानून की अवधारणा पर केन्द्रित है जिसके फायदे देश एवं देश की जनता को होंगे जो कि निम्न प्रकार है–

कानूनों का सरलीकरण–

यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा विवाह, सम्पत्ति, उत्तराधिकार से सम्बन्धित मुद्दों पर कानूनों की सरल व्याख्या करने में सहायता मिलेगी देश के प्रत्येक निवासी पर एक समान कानून लागू होगा, जिससे न्यायपालिका का समय बचेगा तथा अनावश्यक दबाव कम होगा।

पथनिरपेक्षता पर बल–

जिस समय देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जायेगा उस समय देश पूर्ण रूप से पथनिरपेक्ष बनेगा देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार देश में पथनिरपेक्ष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जो कि अलग–अलग कानून के साथ लागू होगा सम्भव नहीं।

लैंगिग समानता–

समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा फायदा महिला एवं पुरूष समानता को होगा क्योंकि पर्सनल लॉ जैसी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा मौजूदा लैंगिग पक्षपात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा एवं महिलाओं को सभी वैद्य अधिकार प्राप्त होंगे।[18]

मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदे–

मुस्लिम महिलाओं के लिए समान नागरिक संहिता का लागू होना बहुत खास एवं समानता का कानून साबित होगा क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति को लेकर बेटा एवं बेटी के मध्य अधिकारों को लेकर अत्यधिक भेदभाव है, जिसके कारण महिलाओं को लैंगिग भेदभाव का सामना करना पड़ता है जोकि कानूनी एवं धार्मिक रूप से अन्याय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत मौखिक वसीयत एवं दान आदि प्रक्रियाएँ मान्य है, जिसके कारण पिता के द्वारा सम्पत्ति की मौखिक वसीयत या दान बेटे को कर दिया जाता है। अन्य स्थिति में बेटे द्वारा मौखिक वसीयत का दावा किया जाता है, इस प्रचलित व्यवस्था के कारण बेटिया अधिकतर अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत लड़कियों की व्यस्कता की उम्र को स्पष्ट नहीं किया गया।

जिसके कारण समाज का बड़ा हिस्सा 13 से 16 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी कर देता है जिसे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत एक मुसलमान व्यक्ति एक समय में चार पत्नियाँ रख सकता है, जिसके कारण महिलाओं की सामाजिक एवं वैवाहिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। समान नागरिक संहिता लागू होने पर मुस्लिम महिलाओं को ऐसे अनेक अभिशाप से मुक्ति मिलेगी तथा उनकी सामाजिक एवं वैवाहिक स्थिति में काफी सुधार आयेगा।[19]

समान नागरिक संहिता का राजनीतिक विश्लेषण–

कांग्रेस–

भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ की जनता को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित किया जाता है और आज इतने वर्ष बाद इन व्यक्तिगत कानूनों को एक झटके में समाप्त कर समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार के लिए मुश्किल होगा।

सपा–

देश में इंसानियत के मुद्दों को सभी इंसानों के लिए एक समान होना चाहिए, तथा समान नागरिक संहिता को लागू करने का मुद्दा सरकार को धर्मगुरूओं पर छोड़ देना चाहिए।

बसपा–

भारतीय जनता पार्टी जब से केन्द्र में सत्ता में आयी है तभी से लगातार देश की सम्पूर्ण जनता पर आरएसएस का एजेड़ा थोपने की कोशिश कर रही है।

शिवसेना–

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए क्योंकि यूसीसी द्वारा मुस्लिम महिलाओं को दुख से बाहर निकलने में मद्द मिलेगी तथा मुस्लिम समुदाय को भी समानता मिलेगी।

डीएमके–

भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में चिंतित पार्टी का मुखौटा पहन रखा है।

राजद–

अगर भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को सम्पूर्ण देश में लागू करना चाहती है तो पार्टी को चाहिए कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू करे क्योंकि वहाँ पार्टी सत्ता में है।

टीएमसी–

केन्द्र सरकार तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाने तथा सम्पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश कर रही है।

सीपीएस–

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सरकार द्वारा उठाया गया कोई कदम या अपनी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा कोई भी प्रचार महिलाओं के अधिकारों के प्रतिकूल नहीं है जो महिला एकरूपता एवं समानता की किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देता।[20]

निष्कर्ष–

सम्पूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के विवादित मुद्दों में से एक रहा इसमें कोई संदेह नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में भी समान नागरिक संहिता पर खूब चर्चा चली परन्तु नतीजा कोई नहीं निकला वर्तमान समय में मोदी सरकार में यूनिफॉर्म सिविल

कोड एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है।[21] समान नागरिक संहिता 1998 एवं 2019 में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य बिन्दू रहा नारायण लाल पंचारिया के द्वारा संसद में पहली बार नवम्बर 2019 में समान नागरिक संहिता बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा गया परन्तु अन्य संसदों के विरोध के कारण जल्दी ही विधेयक को वापस ले लिया गया दूसरी बार 2020 में किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बिल लाया गया परन्तु एक बार फिर विरोध के कारण पेश नहीं किया जा सका और बिल वापस हो गया।[22] समान नागरिक संहिता पर आजादी से लेकर आज तक कई दशकों से चर्चा चल ही है परन्तु हल आज तक नहीं निकल सका देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता परन्तु यह मुद्दा आज भी भारतीय राजनीतिक पार्टियों की बहस में उलझा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात खुद को सेक्युलर (पंथनिरपेक्ष) कहने वाले राजनीतिक दल यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं और हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा जाता है, यह केवल वोटबैंक की राजनीति मात्र है। यहाँ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मुस्लिम वर्ग को केवल वोट बैंक की तरह प्रयोग किया जाता है, उन राजनीतिक दलों को समुदाय के सुधार में विकास में किसी भी प्रकार की कोई रूचि नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाला कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं बताता कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होने से किसी भी वर्ग विशेष को कोई हानि या लाभ कैसे हो सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर किसी प्रकार की राजनीति का कोई तर्क नहीं है। समान नागरिक संहिता को स्त्री न्याय के रूप समझना चाहिए ना कि चुनावी गणित के रूप में मुस्लिम महिलाओं के सामने गरीबी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक, पिछड़ापन, अन्य सभी समस्याओं का समाधान करना आज अहम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात पर अमल करना का यही सही समय है।

संदर्भ सूची

1. राकेश सिन्हा, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता दैनिक जागरण (मेरठ)
2. अनिल चन्द्र बनर्जी (1984) भारत में अंग्रेजी कानून अभिनव प्रकाशन पी– 134 ISBN 978-81-7017-183-6 मूल से 17th Feb. 2017 को किया गया
3. ए0बी0 सरकार और सरकार 2008, पृ0सं0 2–3
4. कल्याणी शंकर, समान नागरिक संहिता, तलाक सहमति की आवश्यकता, The Pioneer, Wednesday 14th July 2021 मूल से 18 अगस्त 2021 को लिया गया।
5. समान नागरिक संहिता क्या है? Business Standard E-paper 18th Aug. 2021 Wednesday को लिया गया।
6. रीना विलियम्स, उत्तर औपनिवेशिक राजनीति और व्यक्तिगत कानून, 2006, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृ0सं0 106

7. कानून आयोग ने 4.81 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर सौपे जो तीन तलाक से खुश है। उम्मीद कॉम 14th April 2017 http://www.unmid.com/news/ april/14/04/2017/muslims-pesonal-law-board-meet-law.commission-on-triple-talaq.html. 31-05-17 को एक्सेस किया गया।

8. राकेश सिन्हा, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता दैनिक जागरण (मेरठ)

9. नज़राना शेख देखे, ''गोवा में समान नागरिक संहिता, हिन्दुओं, ईसाईयों को बख्शा गया लेकिन मुसलमानों के लिए मुश्किले'' द मिल्ली गजट, 2nd April 2017- http://www.illigazette.com/news/19459-uniform-civil code-in.goa-hindus-christians-spared लेकिन मुस्लिमों के लिए मुश्किले।

10. राकेश सिन्हा, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता दैनिक जागरण (मेरठ)

11. सचिन कुमार जैन समान नागरिक संहिता कौन बनाए सरकार या समाज? विकास संवाद और सामाजिक शोधकर्ता News 18 India.

12. देश में समान नागरिक के लिए नहीं हुए प्रयास : सुप्रीम कोर्ट D.P. News ddnews.gov.in

13. शर्मा, विभा यूसीसी मोदी सरकार के एजेडे पर अगला? द ट्रिब्यून अगस्त 2020 मूल से 6 अगस्त 2021 को लिया गया।

14. शिवोम गुप्त यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में 1962 से लागू है, सभी के लिए एक समान कानून One India update 21st Sep. 2019, 10: 23 PM (IST)

15. राकेश सिन्हा, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता दैनिक जागरण (मेरठ)

16. देश में समान नागरिक के लिए नहीं हुए प्रयास : सुप्रीम कोर्ट D.P. News ddnews.gov.in

17. Uniform Civil Code जानिए क्या है समान नागरिक संहिता और इसके कौन–कौन से फायदे गिनाएँ जा सकते है। नई दुनिया update.mon, 16th Sep. 2019, 08 : 25 PM (IST) Posted by Arvind Dubey

18. गोवा में समान नागरिक संहिता Study Marathon गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201013, 20 अप्रैल।

19. उत्कर्ष आनंद क्या सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के लिए गोद रोलिंग निर्धारित की है? Hindustan times 15th Mar-2021 को 3:36 पर प्रकाशित मूल से 18 अगस्त 2021 को लिया गया।

20. समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दल कैसे खड़े होते हैं News18.com 08th Dep. 2016, 19:35 IST, 22nd Aug, 2021 को मूल से लिया गया।

21. राकेश सिन्हा, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता दैनिक जागरण (मेरठ)

22. राकेश सिन्हा, एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता दैनिक जागरण (मेरठ)

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed /Refereed National Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-3, October-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number October-2023/14
Impact Factor (IIJIF-1.561)
https://doi-ds.org/doilink/01.2023-11922556

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

सुम्बुल और डॉ0 अनुजा रानी गर्ग

for publication of research paper title

"समान नागरिक संहिता की आवश्यकता : एक राजनीतिक विश्लेषण"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-03, Month October, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY